कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/2101/पप/99–2000/53005 दिनांक 03 फरवरी 2015

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा

विषय– बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं शिक्षकों को प्रशंसा पत्र/के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

विषयान्तर्गत निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.09.2000 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परिपत्र दिनांक 20.09.2000 की प्रति पृष्ठ भाग पर अंकित है।

निदेशालय स्तर पर समीक्षा करने पर पाया गया कि –

1. सामान्यतया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा(12वीं) परिणाम माह मई में एवं माध्यमिक परीक्षा(10वीं) परिणाम माह जून में घोषित हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम की विद्यालयवार परीक्षा परिणाम की कम्प्यूटर–शीट प्रेषित की जाती है। प्राप्त शीट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रथम दायित्व है कि वह–

   (i)– विद्यालयों की पहचान जिनका परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदण्ड से न्यून है। संबंधित शाला प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय को अधिकतम जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक आसानी से भिजवाये जा सकते है, जो प्राप्त नहीं होते है।

उक्त के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है चूँकि बोर्ड द्वारा अधिकृत परीक्षा परिणाम उनको अंकित विवरणानुसार प्रेषित किये जाने से जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से संस्था प्रधान का दायित्व आसामी से निदेशालय को सूचित किया जा सकता है।

   (ii)– विषयवार व्याख्याताओं/अध्यापकों का परीक्षा परिणाम की सूचना संस्था प्रधानों की प्रथम वाक्–पीठ जो कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जाती है, में संस्था प्रधान से प्राप्त कर समेकित रूप से निदेशालय/मण्डल अधिकारी को प्रेषित की जा सकती है।

2. यह भी सम्भव है कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के परिणाम पुर्न–मूल्यांकन के कारण संशोधित होते है किन्तु इस संशोधन से मोटे रूप से विद्यालय प्रभावित न होकर कुछ संख्या में छात्र/आंशिक रूप से विद्यालय एवं विषयाध्यापक प्रभावित हो सकते है। पुर्न–मूल्यांकन परिणम की प्रतीक्षा किये बिना उक्त सूचना प्रतिवर्ष अधिकतम 31 अगस्त तक उपलब्ध करवाने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उत्तरदायी होगें।

3. उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण कर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा एवं मण्डल कार्यालय द्वारा (सक्षमता के आधार पर) संबंधित संस्था प्रधान, व्याख्याता एवं विषयाध्यापक के विरूद्ध 30 सितम्बर तक कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित का अभिकथन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

4. 15 अक्टूबर तक संबंधित का अभिकथन सक्षम अधिकारी को प्राप्त नहीं होने पर बोर्ड द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर संबंधित कार्मिक (संबंधित संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक) के विरूद्ध

सी.सी.ए.–17 के तहत आरोप पत्र जारी किये जायें। जारी किये जाने वाला आरोप पत्र को सीधे ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना आवश्यक होगा।

5. जारी आरोप पत्र के विरूद्ध अभिकथन (बचाव) प्राप्त होने/नहीं प्राप्त होने दोनों ही दशाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा विश्लेषण कर आवश्यक दण्डादेश से संबंधित आदेश प्रसारित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह कार्यवाही 25 अक्टूबर तक की जाना आवश्यक होगा। आवश्यक आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित किये जाने की सुनिश्चतता संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. पारित आदेश का उल्लेख संबंधित के सेवाभिलेख में 31 अक्टूबर तक आवश्यक इन्द्राज किये जाने का उत्तरदायित्व सक्षम अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत संस्थापन प्रभारी का होगा। विफल रहने की दशा में संस्थापन प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

7. निदेशालय स्तर पर विभागीय जॉच अनुभाग संस्था प्रधान/विषय व्याख्याताओं के विरूद्ध उक्त समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथियों में करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुभाग अधिकारी एवं ग्रुप अधिकारी इसका नियमित रूप से प्रबोधन करेंगे।

8. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/विषय व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों को संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र अपने (i)– अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक (ii)– जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों को 20 जनवरी तक भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि संस्था प्रधान द्वारा 26 जनवरी के गणतन्त्र दिवस समारोह में संबंधित को वितरित किये सकें।

9. जिला शिक्षा अधिकारी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले किसी संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक की जिला /राज्य स्तरीय पुरस्कार की अभिशंषा करनी है तो निर्धारित तिथि तक जिला कलक्टर द्वारा सूचित कार्यक्रम एवं परिपत्रों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित कर सकेंगे।

संलग्न– पृष्ठ भाग अनुसार।

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सहायक शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार।
2. समस्त जिला कलक्टर
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा।
5. वरिष्ठ सम्पादक– शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी विभागीय जॉच, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/2101/II/99–2000/53005 दिनांक :–07.05.2015

परिपत्र

विषयः–परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के मानदण्ड

समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 अथवा 1 से 12 का संचालन होने, कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का प्रावधान होने तथा प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12 के परीक्षा परिणामों में सुधार एवं नामांकन की समय बद्ध समीक्षा आवश्यक है। इसके क्रम में संस्था प्रधानों(प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) तथा शिक्षकों (व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक) के लिए निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जाते है –

1 **संस्था प्रधान** –

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम–विद्यालय का उच्च माध्यमिक व माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परिणाम 80 प्रतिशत व इससे उच्च रहने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा पृथक से जारी निर्देश पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/2101/पप/99–2000/53005 दिनांक 3.2.2015 के क्रम में प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम–विघालय की उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 50 प्रतिशत से न्यून, माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 40 प्रतिशत से न्यून तथा 8 वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग स्तर डी से कम रहने की दशा में संस्था प्रधान के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(स) 5वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग स्तर **D** होने पर संस्था प्रधान के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(द) आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में 150, कक्षा 6 से 8 में 105 तथा कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में प्रति संकाय 100 का नामांकन एवं शेष रहे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक 150, कक्षा 6 से 8 तक 105, कक्षा 9 से 10 तक 40 प्रति कक्षा के अनुसार 80 एवं कक्षा 11 से 12 तक प्रति कक्षा 60 के अनुसार कुल 120 विद्यार्थियों से कम नामांकन रहने पर जवाब कारण बताओं नोटिस का विश्लेषण कर नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त वर्णित ब से द की कार्यवाही समक्ष प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी कर की जावेगी। कारण बताओं नोटिस का जवाब, नोटिस जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में संबंधित द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा।

2 **अध्यापक** –

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम–विषय अध्यापक का उच्च माध्यमिक अथवा माध्यमिक परीक्षा (दोनों अथवा एक) का परीक्षा परिणम 80% व इससे उच्च रहने पर प्रशंसा पत्र दिया जायेगा।

(ब) उच्च माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 60 प्रतिशत से न्यून, माध्यमिक परीक्षा का परिणाम 50 प्रतिशत से न्यून तथा 8वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग स्तर डी होने पर शिक्षक के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(स) 5वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों का ग्रेडिंग **D** होने पर शिक्षक के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

(द) आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में 150, कक्षा 6 से 8 में 105 तथा कक्षा 9 से 10 में 100 एवं कक्षा 11 से 12 में प्रति संकाय 100 का नामांकन एवं शेष रहे माध्यमिक/उच्च माध्यगिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक 150, कक्षा 6 से 8 तक 105, कक्षा 9 से 10 तक 40 प्रति कक्षा के अनुसार 80 एवं कक्षा 11 से 12 तक प्रति कक्षा 60 के अनुसार कुल 120 विद्यार्थियों से कम नामांकन रहने पर नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3. **क्रियान्वयन बिन्दु** –

उपयुक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा अध्यापक को प्रशंसा पत्र देने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रांरभ करने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर वस्तु परक (ओब्जेक्टिव) दृष्टि से अवश्य विचार किया जाना अनिवार्य होगा –

3.1 संस्था प्रधान/अध्यापक का संबंधित सत्र में जुलाई से फरवरी के मध्य न्यूनतम ठहराव 5 माह होना आवश्यक है। शैक्षिक व्यवस्थार्थ तथा अतिरिक्त कक्षा संचालन भी इस हेतु वर्णित अवधि में विचार किया जावेगा।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना करते समय मुख्य परीक्षा परिणाम को ही सम्मिलित किया जावेगा, पूरक परीक्षा परिणाम को नहीं।

3.3 संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उच्च माध्यमिक परीक्षा में विद्यालय में चल रहे सभी संकायों के परीक्षा परिणाम को मिलाकर औसत परीक्षा परीणाम की गणना की जावेगी।

3.4 यदि अध्यापक एक ही विषय के किसी कक्षा के एक से अधिक खण्ड पढाता हो तो सभी खण्डो के परीक्षा परिणाम का औसत निकाला जावे। औसत निकालने के लिए परीक्षा में प्रविष्ठ व उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को आधार माना जायेगा।

3.5 सानुग्रह उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं अध्यापक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण छात्रों के साथ ही सम्मिलित किया जावेगा।

4 **सक्षम अधिकारी** –

4.1 संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक) एवं व्याख्याता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय स्तर पर विभागीय जांच अनुभाग द्वारा की जावेगी।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में मंडल अधिकारी सक्षम होगा तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए समस्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर ही की जावेगी।

4.3 प्रशंसा पत्र देने के लिए निम्नांकित अधिकारी सक्षम होंगेः–

पद	**सक्षम अधिकारी**
(i) प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता	–मण्डल अधिकारी
(ii) अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक	–जिला शिक्षा अधिकारी

4.4 मण्डल अधिकारी द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा तथा जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की अनुशंषा के आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 3.2.2015 के कम में जारी दिशा निर्देशों एवं प्रकिया के अनुरूप प्रशंसा पत्र देने के लिए अधिकृत होंगें।

5. **समय सारणी** :–.

5.1 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सामान्यता बोर्ड परीक्षा परिणाम मध्य जुलाई तक घोषित कर दिये जाते हैं एवं नामांकन प्रकिया भी शिविरा पंचाग अनुसार सामान्यतया जुलाई माह में पूर्ण हो जाती है। इस कम में संबंधित संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) तथा जिला शिक्षा अधिकारी का प्रथम दायित्व है कि निम्नानुसार अनिवार्य रूप से कार्यवाही की जावें :–

1.	न्यून परीक्षा परिणाम/न्यून नामांकन से संबंधित संस्था प्रधान एवं अध्यापक की पहचान	30 जुलाई तक
2.	सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित को कारण बताओं नोटिस जारी करना	10 अगस्त तक
3.	जवाब कारण बताओं नोटिस प्राप्त करना	30 अगस्त तक
4.	आरोप पत्र जारी करना	10 सितम्बर तक
5.	जवाब आरोप पत्र प्राप्त करना	25 सितम्बर तक
6.	व्यक्तिगत सुनवाई	10 अक्टूबर तक
7.	अन्तिम निर्णय पारित करना	15 अक्टूबर तक

5.2 सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित किये जाने की सुनिश्चिता तय कर संबंधित के सेवा अभिलेख में 31 अक्टूबर तक आवश्यक इन्द्राज किये जाने का उत्तरदायित्व सक्षम अधिकारी (नियंत्रण अधिकारी) के कार्यालय में पदस्थापित संस्थापन प्रभारी का होगा।

5.3 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/विषय व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों/अध्यापकों को संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र अपने (1)–अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को 10 जनवरी तक (2)–जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों को 20 जनवरी तक भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि संस्था प्रधान द्वारा 26 जनवरी के गणतन्त्र दिवस समारोह में संबंधित को वितरित किये सकें।

5.4 जिला शिक्षा अधिकारी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले किसी संस्था प्रधान/विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक को जिला/राज्य स्तरीय पुरस्कार की अभिशंषा करनी है तो निर्धारित तिथि तक जिला कलक्टर द्वारा सूचित कार्यक्रम एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप आवश्यक प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्रेषित कर सकेंगे।

5.5 समय सारणी की पालना न करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

संशोधित परिपत्र दिनांक 3.2.2015

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. विशिष्ठ सहायक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार।
2. समस्त जिला कलक्टर..............................
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव,माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा।
7. समस्त उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
8. वरिष्ठ सम्पादक– शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. समस्त मनोनीत मण्डल प्रभारी, कार्यालय हाजा।
11. अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर